**UPUN**040332072025

**न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–3, उन्नाव।**
**उपस्थितः मोना सिंह (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)**

**जे.ओ. कोड– यू.पी.2311**

**Criminal Case 33198 /2025**

**उत्तर प्रदेश राज्य** **अभियोजन पक्ष**

**बनाम**

**1. छोटू पुत्र जगतपाल उम्र 40 वर्ष ।**
**2. जगतपाल पुत्र गजराज उम्र 65 वर्ष।**
**समस्त निवासीगण ए0बी0 नगर थाना कोतवाली, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश।**

**अभियुक्तगण**

**मु.अ.सं.–213ए/2000**
**धारा–324,504,506 भा.दं.सं.**
**थाना कोतवाली, जनपद– उन्नाव।**

**–: निर्णयः–**

**1–** थाना–कोतवाली, जनपद उन्नाव की पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 213ए/2000 में अभियुक्तगण छोटू व जगतपाल के विरूद्ध धारा–324,504,506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित कर अभियुक्तगण को दण्डित करने की याचना की गयी है।

**2–** संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी व उसका बड़ा लड़का मनोज कुमार दिनांक–11.02.2000 को समय 7:30 बजे शाम हो जवाहर नगर स्थित दुकान बन्द करके अपने घर ए0बी0 नगर उन्नाव जा रहा था तभी घर से बीस कदम पहले ही घात लगाये बैठे छोटू पुत्र जगतपाल तथा जगतपाल पुत्र गजराज निवासी ए0बी0 नगर उन्नाव तथा एक अन्य व्यक्ति ने जान से मारने के इरादे से उक्त तीनों ने मनोज कुमार को गाली दी तभी जगत पाल ने मनोज कुमार के ऊपर फायर कर दिया, जो मनोज के दाहिने हाथ में लगी जिससे वह जख्मी हो गया, जब मैंने बचाव–बचाव की आवाज की तो मेरी आवाज सुनकर मेरे घर से मेरा छोटा लड़का योगेश कुमार व अपने घर से कुलदीप तथा अन्य लोग बचाने के लिए आ गये, तब उक्त तीनों लोगों ने गाली देते हुये धमकी दी कि अगर पुलिस

में हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई तो मैं पूरे परिवार को मार दूँगा। अतः मेरे परिवार की सुरक्षा की जाय तथा सूचना रिपोर्ट अंकित कर कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

**3**. वादी मुकदमा द्वारा संबंधित थाना कोतवाली जनपद उन्नाव को दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर संबंधित थाना कोतवाली, जनपद उन्नाव में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध संख्या–213ए/2000 अन्तर्गत धारा 504,506 भा.दं.सं. के तहत पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात् थाना हाजा की पुलिस द्वारा मुकदमें में विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचक द्वारा उक्त अपराध की विवेचना करते हुए वादी मुकदमा व गवाहों के बयान लिए गए, घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी घटना स्थल तैयार किया गया तथा बाद विवेचना अभियुक्तगण छोटू व जगतपाल के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा–324,504,506 भा.दं.सं. में न्यायालय में प्रेषित किया गया।

**4–** आरोप–पत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया गया एवं विचारण आरंभ किया गया तथा अभियुक्तगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त न्यायालय में उपस्थित आये एवं उनके द्वारा अपनी–अपनी जमानते करायी गयीं तथा अभियुक्तगण को धारा–207 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अभियोजन प्रपत्रों की प्रतिलिपियाँ प्रदान की गई।

**5–** पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण छोटू व जगतपाल के विरूद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक–18.5.2001 को अन्तर्गत धारा–324,504,506 भा.दं.सं. के तहत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

**6.** अभियोजन पक्ष को पर्याप्त अवसर प्रदत्त किये जाने के बाद भी किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। तत्पश्चात् दिनांक–01.04.2025 को अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। अभिलेखीय साक्ष्य में तहरीर रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट नक्शानजरी तथा आरोप पत्र पत्रावली पर दाखिल की गई है।

**7–** अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं.प्र.सं. दिनांक 09.04.2025 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना झूठी होना तथा अपने विरूद्ध रंजिशन मुकदमा चलने का कथन किया एवं सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया तथा स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया।

**8–** मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

**9**. वर्तमान दाण्डिक प्रकरण में अभियुक्तगण छोटू व जगतपाल के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक–11.02.2000 को समय करीब 07:30 बजे शाम बहदस्थान

मोहल्ला ए0बी0 नगर थाना कोतवाली में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा डा0 अमर के पुत्र मनोज कुमार को खतरनाक प्राण घातक हथियार से फायर करके उपहति कारित किया तथा गन्दी–गन्दी गालिया दी जान से मारने की धमकी दी। उक्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने करने का भार अभियोजन पर है।

**10.** अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**11.** पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि अभियेाजन द्वारा वादी मुकदमा डा0 अमर को व तथ्य के अन्य किसी साक्षी एवं औपचारिक साक्षियों को परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही लिखित तहरीर को साबित कराया गया है। अन्य साक्षियो को परीक्षित नहीं कराया गया है और साथ ही प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक अधिकारी को भी न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि विवेचक ने विवचेना के दौरान किस प्रकार से पाया की आरोपी/अभियुक्त ने खतरानाक प्राण घातक हथियार से मारा पीटा, गन्दी–गन्दी गालियां दी व जाने से मारने की धमकी दी किया है।

**12.** पत्रावली के परीशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण 2000 से संबन्धित है जो की अत्यन्त प्राचीनतम वादो में शामिल है। अति प्राचीनतम वादो के निस्तारण के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायायल, व उच्च न्यायालय इलहाबाद द्वारा बार–बार दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के उपरान्त लम्बित अवधि अभियोजन पक्ष को साक्ष्य हेतु प्रदान की गयी, फिर भी अभियेाजन की ओर किसी भी गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया हैं और इसके अतिरिक्त अन्य कोई लिखित साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अभियेाजन कथानक को बल मिलता हो।

**13.** माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपनी सम्मानित विधि व्यवस्था **परमिंदर कौर बनाम पंजाब राज्य (2020) 8SCC811** सुप्रीम कोर्ट में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन को अपना सवोर्त्तम साक्ष्य प्रस्तुत कराना चाहिए। यदि अभियेाजन ऐसा करने में असफल है तो सम्पूर्ण अभियोजन कथानक व ऐसे अभियोजन कथानक को दोष सिद्धि का आधार नहीं माना जायेगा ।

**14.** उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन ने अपने समस्त साक्ष्य से यह साबित नहीं किया है कि अभियुक्तगण छोटू व जगतपाल ने दिनांक–11.02.2000 को समय करीब 07:30 बजे शाम बहदस्थान मोहल्ला ए0बी0 नगर थाना कोतवाली में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा डा0 अमर के पुत्र मनोज कुमार को

खतरनाक प्राण घातक हथियार से फायर करके उपहति कारित किया तथा गन्दी–गन्दी गालिया दी जान से मारने की धमकी दी। अभियोजन अपने मौखिक व दस्तावेजो साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगण उपरोक्त पर धारा–324,504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

**15.** अतः उपरोक्त वर्णित समस्त विवेचना के आधार पर न्यायालय के मत में अभियेाजन पक्ष अभियुक्तगण छोटू व जगतपाल के विरूद्व लगाये गये आरोपो को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा–324,504,506 भा.दं.सं के अन्तर्गत लगाये गये आरोप में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

## आदेश

**16.** अभियुक्तगण छोटू पुत्र जगत पाल व जगतपाल पुत्र गजराज को मु.अ.सं. –213ए/2000 अन्तर्गत धारा–324,504,506 भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके जमानतनामें एवं बन्धपत्र को निरस्त किया जाता है तथा जमानतदारों को उनके समस्त दायित्यों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में प्रस्तुत बंधपत्र व जमानतनामें अगले छः (6) माह तक वैध रहेंगे।

**दिनांक–20.11.2025**

(मोना सिंह)
जे.ओ. कोड– यू.पी.2311
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं० 3 उन्नाव।

**17.** आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

**दिनांक–20.11.2025**

(मोना सिंह)
जे.ओ. कोड– यू.पी. 2311
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं० 3 उन्नाव।